

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक सामान्य/II/ 02/2020

दिनांक 19/11/2020

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कर्मोंक प. 1 (1) न्याय/2020 दिनांक 31.10.2020 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद् द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क. सं.	न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अटारू	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांरा	अटारू
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिकराय	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा	सिकराय
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सांचौर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर	सांचौर
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बिलाड़ा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला	बिलाड़ा
6	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, देसूरी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	देसूरी
7	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पिण्डवाड़ा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही	पिण्डवाड़ा

आदेशानुसार,


(निर्मलसिंह मेड़तवाल)

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक - सामान्य/II/05/2017/ 1505

दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक सामान्य/II/ 0.3 /2020

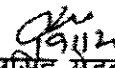
दिनांक 19/11/2020

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कर्मोंक प. 1(1) न्याय/2020 दिनांक 31.10.2020 द्वारा नवसृजित निम्नलिखित अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके सृजन की तिथि से अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है एवं यह निर्देश देता है कि उनको उक्त संहिता के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ होगी:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 15, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय चाकसू	जयपुर महानगर प्रथम	चाकसू
2	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 16, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
3	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 17, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
4	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 18, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
5	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 19, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
6	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर
7	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर

आदेशानुसार,


(निर्मलसिंह मेड़तवाल)

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक - सामान्य/II/05/2017/1506

दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पीठ जयपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम/ जोधपुर महानगर।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम/ जोधपुर महानगर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमोंक सामान्य/II/ 04/2020

दिनांक 19/11/2020

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कमोंक प. 1(1) न्याय/2020 दिनांक 31.10.2020 द्वारा नवसृजित निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके सृजन की तिथि से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है एवं यह निर्देश देता है कि उनको उक्त संहिता के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ होंगी:-

क. सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर	अलवर	बानसूर
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर	भीलवाड़ा	रायपुर
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	करौली	टोडाभीम
4	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4, अलवर	अलवर	अलवर
5	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 5, अलवर	अलवर	अलवर
6	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नांवा	नागौर (मेड़ता न्याय क्षेत्र)	नांवा
7	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी	जयपुर जिला	फागी

आदेशानुसार,

(निर्मलसिंह मेड़तवाल)
रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमोंक - सामान्य/II/05/2017/1507

दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

(निर्मलसिंह मेड़तवाल)
रजिस्ट्रार जनरल

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक सामान्य/II/ 05/2020

दिनांक 19/11/2020

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कमॉक प. 1 (1) न्याय/2020 दिनांक 31.10.2020 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या 2, श्रीगंगानगर के पीठासीन अधिकारी को निम्नानुसार उनके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद् द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या 2, श्रीगंगानगर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

आदेशानुसार,

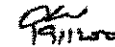

(निर्मलसिंह मेड़तवाल)
रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक - सामान्य/II/05/2017/1508 दिनांक 19/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर।
4. विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या 2, श्रीगंगानगर
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

ORDER

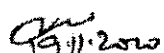
No. General/ 06/2020

Dated: 19/11/2020

Following officer and are hereby **appointed as link officers** of the newly created Special Court for Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 cases and the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 **No.2, Sriganganagar** during the period of absence of concerned Presiding officers or remaining on leave or otherwise, to perform day to day routine work as under:-

S.No	Name of Special Court for Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 cases and the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 for which link officer(s) are to be appointed	Name of Link officer (s)
1.	Special Judge/ Court for Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 cases and the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 No.2, Sriganganagar	Special Judge, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 cases and the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 No.1, Sriganganagar in absence of both the Special Judges, Additional District & Sessions Judge No. 1, Sriganganagar and in his absence his link officer as authorised by the District & Sessions Judge, Sriganganagar

By Order,


(NIRMAL SINGH MERATWAL)

REGISTRAR GENERAL

No. Gen./11/05/2017/1509

Dated: 19/11/2020

Copy forwarded to the followings for information and necessary action.

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. The District & Sessions Judge, Sriganganagar.
3. The Special Judge, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 cases and the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 No.1 & 2, Sriganganagar
4. The Chief Judicial Magistrate, Sriganganagar
5. A.O.J., R.J.S. (Estt.) / Leave side Section, Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR GENERAL